कार्यालय–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/संरक्षण/कक्ष–2/आम/ 2180 भोपाल/दिनांक- 22/12/2003

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

समस्त वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)

मध्यप्रदेश

विषयः– अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मशीनों का नामान्तरण या स्थानान्तरण ।

संदर्भः– क्रमांक. /कक्ष–2/आ.म./1236 दिनांक.22–7–2003

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से आप लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29–10–2002 एवं साधिकार समिति के आदेश दिनांक 28–9–2001 के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे । इन दोनों आदेशों को संबंध में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत प्राप्त किया गया इस संबंध में विधि एवं विधायी विभाग का मत निम्नानुसार है :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन क्र0 202/95 में "टी.एन. गोदावर्मन विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य" में दिए गए आदेश दिनांक 29.10.02 के पृष्ठ 33, 34 एवं 35 पर उल्लेखित है कि सेन्ट्रल इमपावर्ड कमेटी की पूर्व अनुमति व सहमति के बिना कोई भी राज्य नयी आरा मशीन इत्यादि प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा (अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मशीनों के स्थल परिवर्तन को नये स्थान पर आरा मशीन लगाने की अनुमति दिया जाना कहा जायेगा ।) इसी प्रकार बटवारे या उत्तराधिकारी आदि के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में आरा मशीन का नामान्तरण दूसरे व्यक्ति के नाम किया जाना कथित दूसरे व्यक्ति के नाम अन्य अनुज्ञप्ति दिया जाना कहा जावेगा। इसलिये सेन्ट्रल इमपावर्ड कमेटी की पूर्व अनुमति एवं सहमति के बिना अनुज्ञा प्राप्त आरा मशीनों के स्थल परिवर्तन की अनुमति एवं आरा मशीनों के नामान्तरण एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।"

सर्वोच्च न्यायालय
आदेश दिनांक 29/10/2002
के पृष्ठ 33, 34, 35

application

याचक को प्रति दी गई
श्री बजरंग ... आये थे
7-12-04

इस संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि किसी अनुमति प्राप्त आरा मशीन का नामान्तरण वैध उत्तराधिकारी या सम्पत्ति के बटवारे के प्रकरणों को छोड़कर किसी दूसरे के नाम सर्वोच्च अधिकार समिति की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा तथा ना ही समिति की अनुमति के बगैर आरा मिल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने की अनुमति जारी की जायेगी ।

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

22/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ कक्ष-2/आ.म./ 2187 भोपाल/दिनांक- 22/12/[illegible]

प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव , वन , मध्यप्रदेश शासन ,म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल